www.dsvv.ac.in

देव संस्कृति विश्वविद्यालय
DEV SANSKRITI VISHWAVIDYALAYA

Gayatrikunj - Shantikunj, Haridwar -249411 (India)
email: info@dsvv.ac.in • **web:** www.dsvv.ac.in

Criteria 2

2.1.2: Percentage of seats filled against reserved categories (SC, ST, OBC etc.) as per applicable reservation policy for the first year admission during the last five years.

Copy of the letter issued by the State govt. or Central Government Indicating the reserved categories (SC, ST, OBC, Divyangjan, etc.) to be considered as per the state rule

2.1.2: Percentage of seats filled against reserved categories (SC, ST, OBC etc.) as per applicable reservation policy for the first year admission during the last five years

DEV SANSKRITI
VISHWAVIDYALAYA

2.1.2 Percentage of seats filled against reserved categories (SC, ST, OBC etc.) as per applicable reservation policy for the first year admission year wise during the last five years										
Year	**Number of seats earmarked for reserved category as per GOI or State Government rule**					**Number of students admitted from the reserved category**				
	SC	**ST**	**OBC**	**Gen**	**Others**	**SC**	**ST**	**OBC**	**Gen**	**Others**
2023-24	114	24	84	349	0	3	2	20	479	0
2022-23	114	24	84	378	0	4	1	21	477	0
2021-22	116	25	87	382	0	9	0	31	556	0
2020-21	118	25	87	390	0	6	3	34	535	0
2019-20	124	26	91	412	0	10	2	26	574	0

Registrar
Dev Sanskriti Vishwavidyalaya
Gayatrikunj- Shantikunj, Haridwar- 249411

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार
(Ministry of Education, Govt. Of India)
35, फिरोज शाह मार्ग, नई दिल्ली110001 -
35, Feroze Shah Road, New Delhi- 110001
दूरभाष Phone : कार्यालय Off : 236046 -01162
Email : sctsection@gmail.com

F.1-8/2014(SCT) 19 October,2020

The Registrar,
All Central/State/Deemed to be Universities.
and Grants-in-aid Institutions.

Sub:- Implementation of reservation Policy of the Government in Universities, Deemed to be Universities Colleges and other Grant-in-aid Institution and Centres.

Sir/Madam,

As you are aware that the University Grants Commission is continuously monitoring the progress of implementation of reservation Policy for SCs, STs & OBC,EWS and Persons with Disabilities in teaching and non-teaching posts as well as admission to all level courses in universities and colleges.

According to UGC Act, 1956 , the UGC has to ensure effective implementation of the reservation policy in Universities and institutions receiving aid from the public funds except in Minority Institutions under Article 30(1) of the Constitution. All centrally funded Universities/colleges/Institutions are required to ensure strict compliance of Government of India orders/rules on the reservation in their institutions. State Universities including its affiliated/constituent colleges and other Institutes functioning within the State should follow the percentage of reservation for SC/ST & OBC as prescribed by the concerned State Government.

You are required to display the reservation roster which is to be updated at regular intervals on your web-site as per instructions issued by the Govt. of India, Dept. of Personnel & Training, New Delhi vide O.M. No.36012/2/96-Estt.(Res.) dated 2nd July, 1997.

You are also requested to fill up remaining backlog identified reserved vacancies of these categories in teaching and non- teaching posts, to furnish a report along with statistical information in respect of teaching and non-teaching as well as admissions to all level courses and Hostel accommodation during the 2020-21 as per the prescribed format (copy enclosed) on the University Activity Monitoring Portal (UAMP) of UGC at following link https://ugc.ac.in/uamp/) .

The above instructions should also be circulated to all the constituent and affiliated colleges of your university for follow-up action please.

Yours faithfully,

(Dr. G.S.Chauhan)
Joint Secretary

Encl: as above.

Registrar
Dev Sanskriti Vishwavidyalaya
Gayatrikunj - Shantikunj, Haridwar-249411

DEV SANSKRITI VISHWAVIDYALAYA

Letter number **124(XXX (2)/2020-53(01)/2001**

Issues by

Additional Chief Secretary

Government of Uttarakhand dated on **22 May 2020**

Personnel and Vigilance Department of *State of Uttarakhand*

Issued an order in relation to reservation in all the state government services and all the institutions under the state to representation of the categories and to provide equal opportunity to everyone. Reservation will be followed as below mentioned criteria in state:

Category	Percentage
Schedule Caste	19%
Other Backward Caste	14%
Schedule Tribe	04%
Economic Weaker Section	10%

Note - Summary report of Letter number **124(XXX (2)/2020-53(01)/2001**

Registrar
Dev Sanskriti Vishwavidyalaya
Gayatrikunj- Shantikunj, Haridwar- 249411

प्रेशक,

संख्याः 124 /XXX(2)/2020-53(01)/2001

राधा रतूड़ी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव
   सचिव/सचिव (प्रभारी),
   उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
   उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तराखण्ड।

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 22 मई, 2020

विशय :राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं, सार्वजनिक उद्यमों/निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं के अंतर्गत सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व एवं समान अवसर के दृष्टिगत पद आधारित रोस्टर नीति का निर्धारण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्याः 276/XXX(2)/2019-53(1)/2001 दिनांक 11 सितम्बर, 2019 द्वारा राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं, सार्वजनिक उद्यमों/निगमों/ स्वायत्तशासी संस्थाओं के अंतर्गत सीधी भर्ती हेतु रोस्टर नीति लागू की गई थी। उक्त शासनादेश को अधिक्रमित करते हुए शासनादेश संख्या 97/XXX(2)/2020-53(1)/2001 दिनांक 19 मार्च, 2020 द्वारा शासन के सम्यक विचारोपरान्त पूर्ववर्ती रोस्टर क्रमांक के अनुसार (अर्थात प्रथम पद अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित) राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं, सार्वजनिक उद्यमों/निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं के अन्तर्गत सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व एवं समान अवसर के दृष्टिगत पद आधारित (ऊर्ध्व एवं क्षैतिज) रोस्टर नीति का निर्धारण किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्याधीन सेवाओं में सीधी भर्ती से चयन के संबंध में संलग्न परिशिष्ट–1 (उर्ध्व आरक्षण), परिशिष्ट–2 (क्षैतिज आरक्षण) एवं परिशिष्ट–3 (मॉडल रोस्टर) के अनुसार रोस्टर निर्धारित करते हुए राज्याधीन सेवाओं में सीधी भर्ती से चयन हेतु निम्नवत् प्रकिया का पालन सुनिश्चित किया जायेगा :–

1. राज्याधीन सेवा संवर्गों के अंतर्गत नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परिशिष्ट–1 के अनुसार सीधी भर्ती के पदों के सापेक्ष कार्यरत कार्मिकों को रोस्टर क्रमांक के सम्मुख प्रतिस्थापित करते हुए रोस्टर पंजिका तैयार की जायेगी।

2. संवर्गीय रोस्टर गठित होने के पश्चात् परिशिष्ट–2 के अनुसार पृथक–पृथक अनारक्षित/आरक्षित श्रेणियों हेतु क्षैतिज आरक्षण की गणना करते हुए रोस्टर पंजिका तैयार की जायेगी;

   परन्तु उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को राजकीय/अशासकीय सेवाओं में क्षैतिज आरक्षण नियमावली, 2019 यथा संशोधन नियमावली, 2020 के उपबन्ध केवल सामान्य श्रेणी के पदों के सापेक्ष ही लागू होंगे।

3. नियुक्ति प्राधिकारी का दायित्व होगा कि प्रत्येक माह घटित होने वाली रिक्ति का कारण दर्शाते हुए रोस्टर पंजिका को अद्यतन किया जायेगा। इस हेतु प्रत्येक कार्यालयाध्यक्ष द्वारा एक नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा, जिसका दायित्व होगा कि प्रत्येक माह के प्रथम

Registrar
Dev Sanskriti Vishwavidyalaya
Gayatrikunj- Shantikunj, Haridwar-249411

सप्ताह में रोस्टर पंजिका को अद्यतन किया जाय एवं इसकी सूचना संबंधित प्रशासकीय विभाग के माध्यम से कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन को प्रत्येक माह की 15 तारीख तक उपलब्ध करायी जायेगी। यदि संबंधित विभाग द्वारा सूचना प्रेषित नहीं करायी जाती है तो नोडल अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाय।

4. राज्याधीन सेवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू होने की तिथि से आरक्षण की गणना की जायेगी, इसका भूतलक्षी प्रभाव नहीं होगा बल्कि रोस्टर कमांक के अनुसार घटित होने वाली रिक्तियों के अनुसार पद आधारित आरक्षण की गणना की जायेगी।

5. नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा शुद्ध एवं परिणामी रिक्तियों की गणना करते हुए सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु अधियाचन संबंधित आयोग को समयांतर्गत प्रेषित की जाने की कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान रोस्टर नीति के अनुसार सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व एवं समान अवसर के दृष्टिगत रिक्ति को रोटेट करते हुए अगले रोस्टर कमांक को भरे जाने की कार्यवाही सम्पन्न करायी जायेगी।

6. क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत जिन श्रेणियों में चयन हेतु उपयुक्त पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न हों, ऐसे चयनों में दिव्यांगजन श्रेणी के रोस्टर कमांक को बैकलॉग हेतु रिक्त रखा जायेगा तथा शेष श्रेणियों में सम्बन्धित वर्ग के ही प्रवीणता कम से सामान्य चयन की कार्यवाही करा ली जायेगी।

7. दिव्यांगजन श्रेणी के अंतर्गत क्षैतिज आरक्षण उन्हीं सेवा संवर्गों में अनुमन्य होगा, जो विभागों एवं संवर्गों हेतु समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या–196/xvii–2/2011–29(स0क0)/2003 दिनांक 25 मार्च, 2011 तथा समय–समय पर निर्धारित होने वाले वर्गीकरण के अनुसार किया गया हो। दिव्यांगजन अधिनियम, 2016 का अनुपालन करते हुए कार्मिक विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–232 दिनांक 26 सितम्बर, 2018 द्वारा निर्धारित प्रकिया एवं दिशा–निर्देशों का भी पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8. भूतपूर्व सैनिकों को राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन के सन्दर्भ में भारत सरकार के O.M. No. 36034/27/84-Estt.(SCT) dated 02.05.1985, it was decided that once an ex-serviceman has joined the Government job on civil side after availing of the benefits given to him as an ex-serviceman for his re-employment, his ex-serviceman status for the purpose of re-employment in Government would cease." का प्राविधान राज्याधीन सेवाओं में लागू किया गया है। अतएव राज्याधीन सेवा संवर्गों में सेवायोजन हेतु भारत सरकार की नीति के अनुसार क्षैतिज आरक्षण की गणना की जायेगी।

9. राज्याधीन सेवाओं में परिशिष्ट–1, 2 एवं 3 के अनुसार पद आधारित रोस्टर निर्गत होने के उपरांत आरक्षण की गणना हेतु फ्रैक्शन संबंधी शासनादेश संख्या–145, दिनांक 28 मई, 2018 को अधिकमित समझा जाय।

10. सीधी भर्ती के किसी चयन में सेवा संवर्ग के अंतर्गत यदि आरक्षित रिक्तियों का प्रतिशत 50 प्रतिशत से अधिक हो तो ऐसे चयन में उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 (उत्तराखण्ड अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2001) की धारा 3 (4) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

11. राज्याधीन सेवा संवर्गों में सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु रोस्टर प्रणाली को ऑन–लाइन किये जाने का प्रकरण कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के स्तर पर गतिमान है। अतः समस्त सचिव/विभागाध्यक्ष अपने–अपने नियन्त्रणाधीन सेवा संवर्गों में आरक्षित श्रेणी के बैकलॉक

Registrar
Dev Sanskriti Vishwavidyalaya
Gayatrikunj- Shantikunj, Haridwar- 249411

6. सहित रोस्टर अद्यतन कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें, ताकि यथाशीघ्र पद आधारित रोस्टर प्रणाली को ऑन–लाइन कराया जा सके।

उक्तानुसार दिशा–निर्देशों का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्याः —(1)/XXX(2)/2020-53(01)2001 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित अधिकारियों/प्राधिकारियों को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे उक्त से कृपया अपने समस्त सम्बन्धित अधीनस्थों को भी अवगत कराने का कष्ट करें :–

1. सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन को समस्त राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन तथा सरकार के अनुदान प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं (अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित व प्रशासित शैक्षिक संस्थाओं को छोड़कर) इनमें किसी उत्तराखण्ड प्रदश अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित समस्त विद्यालय भी सम्मिलित हैं, की सेवाओं और पदों में उपरोक्त रोस्टर को लागू करने के अनुरोध सहित।
3. सचिव, नगर विकास/सचिव, आवास विभाग/सचिव, पंचायती राज विभाग को उनके अधीनस्थ सभी सम्बन्धित संस्थाओं आदि में उपरोक्त रोस्टर लागू कराने के अनुरोध सहित।
4. राज्य के समस्त उपक्रमों/निगमों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त विकास प्राधिकरणों के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सचिव, उत्तराखण्ड।
6. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक, संबंधित संस्थान/निगम उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, उच्च शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
8. समस्त अध्यक्ष, जिला परिषद्/नगर महापालिका/नगरपालिका, टाउन एरिया, उत्तराखण्ड।
9. निबन्धक, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
10. निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।
12. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
13. सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
14. सचिव, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून।
15. समस्त निजी सचिव, मा0 मंत्रीगण, उत्तराखण्ड शासन।
16. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
17. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह)
उप सचिव।

Registrar
Dev Sanskriti Vishwavidyalaya
Gayatrikunj- Shantikunj, Haridwar- 249411

परिशिष्ट–1

शासनादेश संख्या:125 /XXX(2)/2020-53(01)2001 दिनांक-22-मई, 2020 का संलग्नक।

राज्याधीन सेवाओं में सीधी भर्ती के अन्तर्गत, अनुसूचित जाति 19%, अन्य पिछड़ा वर्ग 14%, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 10% तथा अनुसूचित जनजाति 4% निर्धारित ऊर्ध्व आरक्षण के सापेक्ष रोस्टर आधारित पदों की गणना।

पद	पद की श्रेणी	अनुसूचित जाति 19%	अन्य पिछड़ा वर्ग 14%	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 10%	अनुसूचित जनजाति 4%
1	अनुसूचित जाति	0.19	0.14	0.10	0.04
2	अनारक्षित	0.38	0.28	0.20	0.08
3	अनारक्षित	0.57	0.42	0.30	0.12
4	अनारक्षित	0.76	0.56	0.40	0.16
5	अनारक्षित	0.95	0.70	0.50	0.20
6	अनुसूचित जाति	1.14	0.84	0.60	0.24
7	अन्य पिछड़ा वर्ग	1.33	0.98	0.70	0.28
8	अनारक्षित	1.52	1.12	0.80	0.32
9	अनारक्षित	1.71	1.26	0.90	0.36
10	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	1.90	1.40	1.00	0.40
11	अनुसूचित जाति	2.09	1.54	1.10	0.44
12	अनारक्षित	2.28	1.68	1.20	0.48
13	अनारक्षित	2.47	1.82	1.30	0.52
14	अन्य पिछड़ा वर्ग	2.66	1.96	1.40	0.56
15	अनारक्षित	2.85	2.10	1.50	0.60
16	अनुसूचित जाति	3.04	2.24	1.60	0.64
17	अनारक्षित	3.23	2.38	1.70	0.68
18	अनारक्षित	3.42	2.52	1.80	0.72
19	अन्य पिछड़ा वर्ग	3.61	2.66	1.90	0.76
20	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	3.80	2.80	2.00	0.80
21	अनुसूचित जाति	3.99	2.94	2.10	0.84
22	अनारक्षित	4.18	3.08	2.20	0.88
23	अनारक्षित	4.37	3.22	2.30	0.92
24	अनुसूचित जनजाति	4.56	3.36	2.40	0.96
25	अनारक्षित	4.75	3.50	2.50	1.00
26	अनुसूचित जाति	4.94	3.64	2.60	1.04
27	अनारक्षित	5.13	3.78	2.70	1.08
28	अन्य पिछड़ा वर्ग	5.32	3.92	2.80	1.12
29	अनारक्षित	5.51	4.06	2.90	1.16
30	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	5.70	4.20	3.00	1.20
31	अनुसूचित जाति	5.89	4.34	3.10	1.24
32	अनारक्षित	6.08	4.48	3.20	1.28
33	अनारक्षित	6.27	4.62	3.30	1.32
34	अनारक्षित	6.46	4.76	3.40	1.36

Registrar
Dev Sanskriti Vishwavidyalaya
Gayatrikunj- Shantikunj, Haridwar- 249411